# कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

# उत्तराखण्ड

## विवरणिका
## (Brochure)

(बी0एड0 सत्र 2019–20)

## बी0 एड0 – प्रवेश परीक्षा – 2019

## <u>ऑनलाइन आवेदन</u>

**(बी0एड0 प्रवेश परीक्षा संबंधी आवश्यक निर्देश)**

**आवेदन शुल्क रू0 1200+50 (पोर्टल चार्ज) + बैंक कमीशन**

| | |
|---|---|
| आवेदन हेतु लाइन खुलने की तिथि | 20.02.2019 |
| शुल्क जमा किये जाने की अन्तिम तिथि | 16.03.2019 |
| आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि | 18.03.2019 |

1. **<u>प्रवेश प्रक्रियाः</u>** कुमाऊँ विश्वविद्यालय के तहत संचालित बी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रवेश–परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें प्राप्त अंकों की वरीयता तथा तत्समय लागू आरक्षण नियमों के तहत अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण–पत्रों की जाँच के उपरान्त निर्धारित तिथियों के मध्य प्रवेश दिए जाएंगे।

   **1.1 बी0 एड0 पाठ्यक्रम सत्र 2019–20 की अवधि 02 वर्ष होगी।**

2. <u>प्रवेश–परीक्षा हेतु अर्हता तथा पात्रताः</u>

   **2.1.** परीक्षार्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से पूर्व सुनिश्चित कर ले कि एन0 सी0 टी0 ई0 **<u>के प्रवेश नियम 3.2 को पूर्ण करता है इसके अन्तर्गत –</u>**
   सामान्य श्रेणी के प्रवेशार्थी को अनिवार्य रूप से **न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ स्नातक अथवा स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यहाँ तक कि 49.99 प्रतिशत भी मान्य नहीं होगा।**

   2.2. आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के प्रवेशार्थी को अनिवार्य रूप से **न्यूनतम 45 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ स्नातक अथवा स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यहाँ तक कि 44.99 भी मान्य नहीं होगा।** उक्त अर्हता पूर्ण न किये जाने पर ऑन लाईन आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

   2.3. **स्नातक अथवा स्नातकोत्तर की अन्तिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी बी0एड0 में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन बी0एड0 प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश की तिथि को स्नातक अथवा स्नातकोत्तर अन्तिम वर्ष उत्तीर्ण होने की अंकतालिका प्रस्तुत करना अनिवार्य है।**

   **<u>नोट–यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी सम्बन्धित परीक्षा के लिए अर्ह नहीं है अथवा उसके परीक्षा आवेदन पत्र में कोई तथ्य छिपाया गया है तो विश्वविद्यालय को बिना किसी पूर्व सूचना के परीक्षार्थी का अभ्यर्थन तथा परीक्षाफल निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।</u>**

❋ बी0एड0 प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण Appearing Student's को भी बी0एड0 पाठ्यक्रम की काउन्सिलिंग में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जायेगा। Appearing Student's को बी0एड0 प्रथम सेमेस्टर में अनन्तिम प्रवेश (Provisional Admission) दिया जाएगा, किन्तु अभ्यर्थी की न्यूनतम अर्हता उपाधि की परीक्षा का परीक्षाफल घोषित होने पर यदि अभ्यर्थी न्यूनतम अर्हता पूर्ण न कर सका तो ऐसे अभ्यर्थी का प्रवेश उक्त परीक्षाफल घोषित होने की तिथि से स्वतः ही निरस्त माना जाएगा, जिसका सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा सम्बन्धित परिसर/महाविद्यालय/संस्थान में शिक्षण शुल्क तथा अन्य शुल्क तब ही जमा किया जायेगा जब ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश की न्यूनतम अर्हता पूर्ण कर ली हो। Appearing Student's द्वारा बी0एड0 प्रथम सेमेस्टर में कुल शुल्क का 10 प्रतिशत शुल्क सम्बन्धित स्ववित्तपोषित संस्थान (Self Finance Institute) अथवा राजकीय महाविद्यालय (जहाँ पर स्ववित्तपोषित आधार पर बी0एड0 पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं) जमा की जानी होगी जो कि वापस देय नहीं (Non refundable) होगी।

❋ बी0एड0 पाठ्यक्रम पूर्णरूप से नियमित पाठ्यक्रम (Regular Course) है। अतः उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले समस्त अभ्यर्थी एक सत्र में एक ही पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने हेतु अर्ह होगा। यदि भविष्य में किसी भी अभ्यर्थी के एक सत्र में दो पाठ्यक्रमों (क्रमशः– नियमित अथवा व्यावसायिक) (Regular & Professional Course) में प्रवेश एवं अध्ययन की सूचना प्राप्त होती है तो विश्वविद्यालय द्वारा उसका बी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवेश निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

❋ बी0एड0 पाठ्यक्रम पूर्णरूप से नियमित पाठ्यक्रम (Regular Course) है। यदि कोई सेवारत अभ्यर्थी उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने का इच्छुक हो तो उसे काउन्सिलिंग/प्रवेश के समय अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण–पत्र (No Objection Certificate) प्रस्तुत करना होगा, तत्पश्चात् ही ऐसे अभ्यर्थियों को प्रवेश का अवसर प्रदान किया जायेगा।

2.4. यदि किसी प्रवेशार्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक कार्यवाही न्यायालय में विचाराधीन हो अथवा वह दण्डित किया गया हो तो वह प्रवेश का पात्र नहीं होगा। अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वे आवेदन पत्र के सम्बन्धित कॉलम में इस बारे में सूचित करें। यदि इस सूचना को जानबूझ कर छिपाया जाता है तो भविष्य में जानकारी होने पर प्रदत्त प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। यह अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।

2.5. कोई भी प्रवेशार्थी 2017 की परीक्षा में दो वर्ष के लिए तथा 2018 की परीक्षा में एक या दो वर्ष के लिए अनुचित साधन के कारण विश्वविद्यालय द्वारा दण्डित किए गए हैं, तो उन्हें प्रवेश प्रतिबन्धित है।

3. **<u>प्रवेश–परीक्षा का स्वरूप एवं प्रश्न–पत्रः</u>**

बी0 एड0 प्रवेश परीक्षा का स्वरूप निम्नानुसार होगा –

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | **प्रथम प्रश्न पत्र** (B1) | | | भाषा परीक्षण (Language Test) |
| | | अवधि | – | 1:30 घन्टे |
| | | अधिकतम अंक | – | 100 अंक |
| | | भाषा | – | हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा |
| | | अनिवार्यता | – | सभी परीक्षार्थियों के लिये अनिवार्य |
| 2. | **द्वितीय प्रश्न पत्र** (B2) | | | सामान्य ज्ञान एवं तर्किकता परीक्षण (General Knowledge & Reasoning Test) |
| | | अवधि | – | 1:30 घन्टे |
| | | अधिकतम अंक | – | 100 अंक |
| | | अनिवार्यता | – | सभी परीक्षार्थियों के लिये अनिवार्य |
| 3. | **तृतीय प्रश्न पत्र –(B3)(भाग एक)** | | | एप्टीट्यूट टेस्ट (Aptitude Test) |
| | | अवधि | – | 45 मिनट |
| | | अधिकतम अंक | – | 100 अंक |
| | | अनिवार्यता | – | सभी परीक्षार्थियों के लिये अनिवार्य |
| 4. | **तृतीय प्रश्न पत्र –(B3)(भाग दो)** | | | वैकल्पिक प्रश्न पत्र (Optional Paper) |
| | | अवधि | – | 45 मिनट |
| | | अधिकतम अंक | – | 100 अंक |
| | | अनिवार्यता | – | प्रत्येक परीक्षार्थी निम्न में से किसी एक वैकल्पिक प्रश्न पत्र में सम्मिलित होगा। |
| | | | 1. | विज्ञान वर्ग (Science Group) |
| | | | 2. | कला वर्ग (Arts Group) |
| | | | 3. | वाणिज्य वर्ग (Commerce Group) |

**सामान्य वर्ग** के अभ्यर्थी को (B1+B2 प्रश्न पत्र में 80 अंक) एवं (B3 Part I+B3 Part II प्रश्न पत्र में 80 अंक) लाना अनिवार्य है।

**आरक्षित वर्ग** के अभ्यर्थी को (B1+B2 प्रश्न पत्र में 54 अंक) एवं (B3 Part I+B3 Part II प्रश्न पत्र में 54 अंक) लाना अनिवार्य है।

4. **<u>प्रवेश में आरक्षणः</u>** वर्तमान में लागू विभिन्न शासनादेशों के तहत बी0 एड0 कक्षा में आरक्षण के नियम निम्नानुसार है –

4.1. अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे आरक्षण श्रेणी हेतु आवेदन पत्र में उस श्रेणी को भरें जिस श्रेणी के लिए दावा प्रस्तुत करना चाहते हैं। अभ्यर्थी **अपने समस्त मूल प्रमाणपत्र** व आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र काउन्सिलिंग एवं प्रवेश के समय प्रस्तुत करेगे। प्रमाण पत्र के अभाव में आरक्षण श्रेणी का दावा मान्य नहीं होगा।

4.2. आरक्षण का प्रतिशत निम्नानुसार है –

| | | |
|---|---|---|
| क – | 1. अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | 14 प्रतिशत |
| | 2. अनुसूचित जाति (SC) | 19 प्रतिशत |

3. अनुसूचित जनजाति (ST) 04 प्रतिशत

**नोटः केवल उत्तराखण्ड की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों को प्रवेश हेतु इस श्रेणी का लाभ अनुमन्य होगा।**

**अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को अद्यतन अवधि का जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अद्यतन प्रमाणपत्र के अभाव में आरक्षण का लाभ दिया जाना सम्भव नहीं होगा।**

**उत्तराखण्ड शासन के आदेश के अनुसार क्षैतिज आरक्षण निम्नानुसार होगा तथा यह आरक्षण केवल उत्तराखण्ड के निवासियों हेतु होगा–**

| | | |
|---|---|---|
| ख– | 1. दिव्यांग (Handicapped- PH) | 03 प्रतिशत (1.5% नेत्रहीन 1.5% अन्य) |
| | 2. महिलायें (Women) | 30 प्रतिशत |
| | 3. भूतपूर्व सैनिक (स्वयं) (Ex-Army) | 02 प्रतिशत |
| | 4.स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित (Dependents of Freedom Fighter) | 02 प्रतिशत |

4.3. आरक्षण श्रेणी का लाभ केवल संलग्न/आधिकारिक प्रारूपों पर प्राप्त प्रमाणकों पर ही दिया जाएगा। पृथक से भाषाबद्ध प्रमाणपत्र मान्य नहीं होंगे। आवेदन पत्र में उल्लिखित आरक्षण की श्रेणी का प्रमाणपत्रों की जांच के समय संज्ञान लिया जाएगा। इस सम्बन्ध में कोई परिवर्तन बाद में सम्भव नहीं होगा। **सम्बन्धित प्रारूप इस विवरणिका के अन्त में दिए गए हैं।**

4.4. अनधिकृत या कृते अधिकारी द्वारा प्रदत्त/प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। प्रमाणपत्र जो नियमों एवं मानकों के अनुसार नहीं होंगे, उन्हें निरस्त कर दिया जाएगा।

4.5. दिव्यांग प्रमाणपत्र मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए। **चर्मरोग से ग्रसित, हकलाने वाले, मूक–बधिर अभ्यर्थी इस प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन न करें। इनके प्रवेश पर कोई विचार सम्भव नहीं होगा।**

4.6. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से सम्बन्धित प्रवेशार्थी जिला शिक्षा अधिकारी या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र जाँच तथा प्रवेश के समय मूल रूप में प्रस्तुत करेंगे।

4.7. भूतपूर्व सैनिक (स्वयं) के पात्र प्रवेशार्थी संबंधित कमाडिंग ऑफीसर/सचिव सैनिक कल्याण बोर्ड तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से हस्ताक्षरित/प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाणपत्र जाँच के समय प्रस्तुत करने पर ही वांछित लाभ के पात्र होंगे।

**❋ उत्तराखण्ड शासन द्वारा तथा एन0सी0टी0ई0 द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों एवं दिशा–निर्देशों को लागू किया जायेगा।**

5. **<u>कुमाऊँ विश्वविद्यालय में सत्र 2019–20 में बी0 एड0 कक्षाओं का संचालन एवं सीटों की संख्याः</u>**

वर्तमान में कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालयों/स्ववित्तपोषित/निजी स्वत्तिपोषित संस्थानों में बी0 एड0 कक्षायें संचालित की जा रही है। सीटों का विवरण प्रवेश काउन्सिलिंग के समय विश्वविद्यालय की वैबसाईट में उपलब्ध कराया जायेगा। प्रवेश हेतु उपलब्ध रिक्तियों में आरक्षण संबंधी नियमों का अनुपालन किया जाता है।

6. **<u>अधिमान अंक –</u>**

6.0 **निम्नांकित अधिमान केवल बी0 एड0 प्रवेश हेतु अनुमन्य हैं। अभ्यर्थियों द्वारा निम्नलिखित अधिमान अंकों के लिये अपने मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथियों/स्थान में करवाया जाना अनिवार्य होगा। इसी आधार पर अधिमान अंक देय होंगे। यदि अभ्यर्थी द्वारा उक्त सत्यापन नहीं करवाया जाता है तो उसके आवेदन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के लिये वह स्वयं जिम्मेदार होगा/होगी।**

6.1 **अधिमान अंकों तथा मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु तिथि एवं स्थान की घोषणा विश्वविद्यालय द्वारा पृथक से की जायेगी।**

6.2 **अधिमान अंकों का विवरण निम्नानुसार है –**

**(क)** राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय या अन्तर विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को – **अधिमान केवल एक प्रतियोगिता का देय होगा -**

1. इन्डीविजुवल आईटम में

| | |
|---|---|
| प्रथम स्थान प्राप्त करने पर | **15 अंक** |
| द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर | **10 अंक** |
| तृतीय स्थान प्राप्त करने पर | **05 अंक** |

2. टीम आईटम में –

| | |
|---|---|
| सर्वविजेता चैम्पियन टीम का सदस्य होने पर | **15 अंक** |
| सर्व उप विजेता (रनर्स टीम) का सदस्य होने पर | **10 अंक** |
| प्रतिभागी टीम का सदस्य होने पर | **05 अंक** |

3. किसी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अन्तर महाविद्यालय टूर्नामेन्ट या खेलकूद प्रतियोगिता में –

| | |
|---|---|
| सर्व विजेता/चैम्पियन टीम का सदस्य होने पर | **10 अंक** |
| इण्डिविजुवल आईटम में प्रथम स्थान पाने पर | **10 अंक** |

नोट – (1) उपर्युक्त मद संख्या (1), (2) एवं (3) के अन्तर्गत आईटम्स में से केवल एक ही आईटम का लाभ देय होगा अर्थात यदि किसी छात्र ने एक से अधिक

टीम अथवा आईटम में भाग किया है तो उसे एक ही टीम/आईटम का लाभ देय होगा।

(2) राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के प्रसंग में शासन के खेलकूद विभाग द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र मान्य होगा।

**(ख)** 1. नेशनल कैडेट कोर में ''सी'' प्रमाण पत्र पाने वाले पुरुष अभ्यर्थी तथा जी–2 प्रमाण पत्र पाने वाली महिला अभ्यर्थी को **15 अंक**

2. नेशनल कैडेट कोर में ''बी'' प्रमाण पत्र पाने वाले पुरुष अभ्यर्थी तथा जी–1 प्रमाण पत्र पाने वाली महिला अभ्यर्थी को **10 अंक**

या

1. राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा एवं दो या अधिक विशेष शिविर में भाग लेने वाले वाले अभ्यर्थियों को **15 अंक**

2. राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा एवं एक विशेष शिविर में भाग लेने वाले वाले अभ्यर्थियों को **10 अंक**

3. राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा करने वाले अभ्यर्थियों को **05 अंक**

नोट – (1) एन0 एस0 एस0 में भारत सरकार द्वारा संचालित शिविर–प्रमाण पत्र सम्बन्धित विश्वविद्यालय के एन0 एस0 एस0 समन्वयक द्वारा निर्गत तथा 240 घण्टे के कार्य का प्रमाण पत्र समन्वयक/प्राचार्य/परिसर समन्वयक (निदेशक) के द्वारा निर्गत मान्य होंगे।

(2) विशेष शिविर कम से कम 7 से 10 दिनों का होना चाहिए । दस दिवसीय शिविर में तिथि अंकित न होने पर वांछित लाभ देय नहीं होगा।

(3) एन0 एस0 एस0 'बी' तथा 'सी' प्रमाण पत्रों पर कोई अधिमान देय नहीं होगा।

या

1. स्काउड एवं गाइड का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त प्रवेशार्थी को **15 अंक**

2. स्काउड एवं गाइड का राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त प्रवेशार्थी को **10 अंक**

3. स्काउड एवं गाइड्स में गुरुपद व ध्रुवपद प्राप्त प्रवेशार्थी को **05 अंक**

**नोट– उपर्युक्त वर्णित मद (ख) में से केवल एक का लाभ प्रवेशार्थी को देय होगा ।**

**(ग)** ऐसे अभ्यर्थी जो सक्रिय सेवारत या विसैन्यीकृत या शासकीय सेवा–निवृत्त प्रतिरक्षा कर्मचारी हों या ऐसे अभ्यर्थी जो अपंग, लापता या मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी से उनके पुत्र/पुत्री/पत्नी के रूप में सम्बन्धित हों **15 अंक**

**(घ)** ऐसे अभ्यर्थी जो पुलिस या पी0 ए0 सी0 या बी0 एस0 एफ0 या एस0 एस0 बी0/ आई0 टी0 बी0 पी0/सी0 आर0 पी0 एफ0/होमगार्डस में सेवारत् हो या ऐसे कर्मचारी से पुत्र/पुत्री/पत्नी के रूप में सम्बन्धित हों, **15 अंक**

जो कार्यरत् या सेवानिवृत्त अपंग या सेवारत् रहते हुए मृत हो गए हों

नोट – (ग) के पात्र प्रवेशार्थी सम्बन्धित कमाडिंग आफीसर/सचिव जिला सैनिक बोर्ड तथा (घ) के पात्र प्रवेशार्थी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से हस्ताक्षरित/प्रति हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर वांछित लाभ के पात्र होंगे। यदि किसी प्रवेशार्थी के माता/पिता दानों ही इस श्रेणी में आते हैं तो उन्हें केवल 15 अंकों का अधिमान देय होगा। उक्त के मूल प्रमाण पत्र काउन्सिलिंग एवं प्रवेश के समय प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे।

**(ङ)** ऐसी महिला अभ्यर्थी जो विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता हो **15 अंक**

**नोट –** विधवा प्रवेशार्थी को पब्लिक नोटरी द्वारा निर्गत शपथपत्र तथा तलाक एवं परित्यक्ता महिला को सम्बन्धित कोर्ट का मूल प्रमाण पत्र काउन्सिलिंग एवं प्रवेश के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

6.3 अधिमान प्राप्तांकों हेतु केवल संलग्न प्रारूप पर प्राप्त प्रमाणयकों को माना जायेगा। पृथक से भाषावद्ध प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। आवेदन पत्र में उल्लिखित आरक्षण की श्रेणी एवं अधिमान हेतु देय अंकों का संज्ञान लिया जायेगा। इस सम्बन्ध में कोई परिवर्तन बाद में सम्भव नहीं होगा।

अन्य किसी रूप का प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी सम्बन्धित प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर ही देंगे। अनाधिकृत या कृते अधिकारी द्वारा प्रदत्त/प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। प्रमाण पत्र जो नियमों एवं मानकों के अनुसार नहीं होंगे उन्हें निरस्त कर दिया जायेगा।

**बी0एड0 हेतु अधिकतम अधिभार अंक 25 देय हैं।**

**7.** **<u>प्रवेश–परीक्षा शुल्कः</u>** ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु शुल्क रू0 **1250 तथा बैंक शुल्क** { रू0 **1200+ 50 (पोर्टल चार्ज) + बैंक कमीशन**} है। ऑनलाइन व्यवस्था के तहत शुल्क का भुगतान ऑनलाईन जमा किया जाना होगा। इसके लिए अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय की वैबसाइट www. kunainital.ac.in में दिये Home Page में जाकर रजिस्ट्रेशन के पश्चात् शुल्क ऑनलाईन माध्यम से जमा से करना होगा। **। अभ्यर्थी NEFT/RTGS के माध्यम से भी शुल्क जमा कर सकता है।**

**बैंक द्वारा भुगतान की पुष्टि किए जाने के उपरान्त ही चालान के माध्यम से शुल्क जमा किए जाने की स्थिति में 24 घण्टे बाद अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के लिए पात्र होगा। यदि शुल्क अन्य माध्यम (डेबिट/क्रेडिट कार्ड या नैट बैंकिग) से जमा किया जाता है तो, अभ्यर्थी आवेदन पत्र को पूर्ण भरने की प्रक्रिया उसी वक्त पूर्ण कर सकता है। आवेदन–शुल्क किसी भी दशा में वापस किया जाना सम्भव नहीं होगा।**

**8.<u>प्रवेश–परीक्षा हेतु आवेदनः</u>** सत्र 2019–20 की प्रवेश–परीक्षा हेतु आवेदन–पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भर कर प्रिंटआउट (Printout) को अग्रिम कार्यवाही हेतु अपने पास सुरक्षित रखेंगे। **व्यक्तिगत एवं डाक द्वारा भेजे गए आवेदन–पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।**

## 9.प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन–पत्र भरनाः

**9.1.** प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन–पत्र भरने हेतु अभ्यर्थी को कुमाऊँ विश्वविद्यालय की वैब साइट www.kunainital.ac.in में दिये गये लिंक के होम पेज (home page) में ऑनलाइन जाना पड़ेगा।

**9.2. होम पेज में आवेदन–पत्र भरने हेतु दिए गए निर्देश निम्नानुसार हैं –**

9.2.1. अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे आवेदन–पत्र भरने से पूर्व इस विवरणिका को पढ़ लें तथा अपनी अर्हता के बारे में सुनिश्चित हो जाएं। **एक बार प्रवेश–परीक्षा शुल्क जमा हो जाने पर उसे वापस नहीं लौटाया जाएगा।**

9.2.2. ऑनलाइन आवेदन–पत्र की सभी प्रविष्टियों को भरना अनिवार्य है। **आवेदन–पत्र में अपने स्वयं के मोबाइल नम्बर तथा ई–मेल पते को अवश्य भरें। इन दोनों को प्रवेश–प्रक्रिया सम्पादित होने तक चालू स्थिति में रखने का उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा।**

9.2.3. अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन–पत्र को सभी दृष्टिकोण से पूरा करना है तथा अपना पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ तथा हस्ताक्षर को वैबसाइट के सम्बन्धित बॉक्स में अपलोड करने हैं।

9.2.4. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि अपने द्वारा भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र को **submit** करने के पश्चात् सभी **प्रविष्टियों की सावधानी पूर्वक जाँच कर लें, यदि कोई त्रुटि हो तो उसे Edit Option द्वारा सुधार कर Confirm करें।** एक बार **Confirm किए जाने के पश्चात इन प्रविष्टियों में बदलाव नहीं किया जा सकता।**

9.2.5. ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने, हस्ताक्षर व फोटोग्राफ अपलोड करने के पश्चात सम्पूर्ण जानकारी को Submit करने के पश्चात Confirm करके **अभ्यर्थियों को अपने आवेदन–पत्र का प्रिंट–आउट (printout) लेना है, जिसकी प्रति उनके द्वारा भविष्य में पत्राचार हेतु सुरक्षित रखा जाएगा।**

## Main Steps to apply online

- Apply for Online Registration
- Pay Examination Fee
- Fill Online Application Form
- Download Final Application

**9.3. ऑनलाइन आवेदन–पत्र के पंजीयन की प्रक्रिया में निम्न पद (steps) निहित हैं–**

पद – 1: उचित पाठ्यक्रम (**बी0एड0**/एम0एड0/एल–एल0बी0/एल–एल0एम0) का चयन करें।

पद – 2: निर्देशिका को वैबसाइट से डाउनलोड करना तथा समस्त नियमों का अध्ययन करें।

पद – 3: अभ्यर्थी को सर्वप्रथम वैबसाइट के होम पेज पर **Apply** Online द्वारा **नये पंजीकरण हेतु** नाम, पिता का नाम, माता का नाम मोबाइल नम्बर, जन्मतिथि एवं स्वयं का ई–मेल का पता भर पंजीकरण **(Registration)**कराना है।

पंजीकरण **(Registration)** करते समय अभ्यर्थी यह भली–भाँति जाँच ले कि उसके द्वारा दी गई जानकारी सही है अथवा नहीं यदि कोई त्रुटि हो तो उसे Edit Option द्वारा सुधार कर घोषण **(DECLARATION)** में दिये गये चैक बॉक्स ☑ को क्लिक करें तत्पश्चात ही Confirm करें।

पंजीकरण **(Registration)** करने के पश्चात् अभ्यर्थी द्वारा रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर व ई–मेल पर पंजीकरण **(Registration)** नम्बर प्राप्त होगा जिसका प्रयोग ऑनलाइन शुल्क जमा करने तथा आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरने के लिए प्रयोग किया जाएगा। **अभ्यर्थी प्राप्त पंजीकरण (Registration) संख्या को आगे की कार्यवाही हेतु अनिवार्य रूप से सुरक्षित रख लें।**

पद – 4: वैबसाइट पर दिए गए Pay Fee लिंक द्वारा रजिस्ट्रेशन नम्बर तथा जन्म तिथि की सहायता से शुल्क जमा करना होगा। आवेदन–शुल्क (रु0 1250+बैंक शुल्क) जमा करेगा, जिस हेतु उसे ऑनलाईन शुल्क जमा करने की सुविधा उपलब्ध की जा रही है, जिसके माध्यम से वह शुल्क जमा करने हेतु बैंक चालान अथवा इण्टरनैट बैंकिंग अथवा क्रैडिट/डैबिट कार्ड का उपयोग कर सकता है। **शुल्क जमा किये जाने की रसीद को अभ्यर्थी प्रिंट कर अग्रिम कार्यवाही हेतु सुरक्षित रख ले।**

पद – 5: शुल्क जमा किए जाने के पश्चात Continue Option द्वारा आवेदन पत्र में को पूर्ण करना। जिसमें परीक्षा केन्द्र, वर्ग, पाठ्यक्रम, श्रेणी, उप–श्रेणी, पता, अर्हता सम्बन्धी जानकारी भरी जानी है तत्पश्चात अपना पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ तथा हस्ताक्षर अपलोड करना तथा भरे गये आवेदन पत्र को भली–भाँति जाँच के पश्चात Submit करेगाा।

यदि दी गई जानकारी में कोई परिवर्तन किया जाना है तो **EDIT Option** द्वारा जानकारी को परिवर्तित कर घोषण **(DECLARATION)** में दिये गये चैक बॉक्स ☑ को क्लिक करके **Confim** करेगा।

पद – 6: Print लिंक पर जाकर अपने आवेदन पत्र को प्रिंट करना तथा Logout करना। **अभ्यर्थी प्रिंट किये गये आवेदन पत्र की प्रति को भविष्य में सन्दर्भ हेतु सुरक्षित रखें।**

10. प्रवेश–परीक्षा हेतु प्रवेश–पत्र प्राप्त करना:

10.1: निर्धारित केन्द्रों में आयोजित होने वाली प्रवेश–परीक्षा में अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत प्रवेश–पत्र के आधार पर सम्मिलित किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों के पास आधिकारिक

प्रवेश–पत्र नहीं होंगे वे परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकते। प्रवेश परीक्षा की तिथि को प्रवेश पत्र के साथ फोटो पहचान पत्र लाना अनिवार्य है।

10.2: प्रत्येक अभ्यर्थी अपना प्रवेश–पत्र विश्वविद्यालय की वैबसाइट www.kunainital.ac.in में दिये गये लिंक के Home Page से Admit Card लिंक के द्वारा अपनी पंजीकरण संख्या का उपयोग करते हुए प्रिन्ट कर सकता है। **अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र वैबसाइट के माध्यम से ही प्राप्त होंगे तथा प्रवेश–पत्र को डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा।**

**11.प्रवेश–परीक्षा हेतु केन्द्रः** बी0 एड0 प्रवेश परीक्षा 2019 के लिए कुमाऊँ विश्वविद्यालय के द्वारा निम्नलिखित **14 केन्द्र** बनाए गए हैं –

| क्र0 | केन्द्र | क्र0 | केन्द्र | क्र0 | केन्द्र | क्र0 | केन्द्र |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अल्मोड़ा | 5 | नैनीताल | 9 | रानीखेत | 13 | किच्छा |
| 2 | बागेश्वर | 6 | पिथौरागढ़ | 10 | खटीमा | 14 | बेरीनाग |
| 3 | हल्द्वानी | 7 | रामनगर | 11 | द्वाराहाट | | |
| 4 | काशीपुर | 8 | रूद्रपुर | 12 | लोहाघाट | | |

**नोट– यदि उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों में से किसी परीक्षा केन्द्र में प्रवेश परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कम या ज्यादा होगी तो उस परीक्षा केन्द्र को निकटस्थ परीक्षा केन्द्र में परिवर्तित कर दिया जाएगा।**

**12.प्रवेश परीक्षा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तिथियाँ:** अभ्यर्थी प्रवेश–परीक्षा से सम्बन्धित निम्न प्रस्तावित तिथियों को नोट करें –

| क्र0सं0 | विवरण | प्रारम्भ | अंतिम तिथि |
|---|---|---|---|
| 1. | ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रक्रिया हेतु लाइन खुलने की तथा अन्तिम तिथि | 20.02.2019 | 20.03.2019 |
| 2. | शुल्क जमा करना | 20.02.2019 | 16.03.2019 |
| 3. | ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना | 20.02.2019 | 18.03.2019 |
| 4. | प्रवेश–पत्र डाउनलोड करना | 23.03.2019 | 31.03.2019 |
| 5. | परीक्षा की तिथि | 31 मार्च, 2019 (रविवार) | |

**13.परीक्षा परिणाम की घोषणाः** प्रवेश–परीक्षा सम्पादित होने तथा अभ्यर्थियों के शैक्षणिक व आरक्षण संबंधी प्रमाणपत्रों की प्रारम्भिक जाँच होने के पश्चात प्रवेश–परीक्षा का परिणाम व वरीयता सूची विश्वविद्यालय की वैबसाइट www.kunainital.ac.in के माध्यम से घोषित किए जाएंगे तथा सम्बन्धित सूचना को समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचारित व प्रसारित किया जाएगा।

**13. कक्षाओं में प्रवेश / काउन्सिलिंगः**

13.1. विश्वविद्यालय परिसर में संचालित बी0 एड0 पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांकों व आरक्षण के आधार पर वरीयता सूची निर्मित की जाएगी तथा इस आधार पर **ऑनलाइन काउन्सिलिंग** के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा। बी0 एड0 प्रवेश परीक्षा परिणाम को विश्वविद्यालय की वैबसाइट www.kunainital.ac.in पर देखा जा सकता है। आवश्यक होने पर परीक्षा–परिणाम घोषित होने की सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचारित की जा सकती है।

13.2. प्रवेश हेतु चयनित प्रवेशार्थियों को निर्धारित अवधि के अन्दर परिसर में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि के अन्दर प्रवेश न लेने वाले प्रवेशार्थी का दावा समाप्त समझा जाएगा तथा उसके / उनके बाद के अभ्यर्थी को (प्रतीक्षा सूची से) प्रवेश दे दिया जाएगा। चयनित अभ्यर्थी को प्रवेश की सूचना विश्वविद्यालय की वैबसाइट www.kunainital.ac.in पर दी जाएगी। विश्वविद्यालय की वैबसाइट पर दी गई सूचनाओं के आधार पर प्रवेशार्थी प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं।

13.3. प्रमाण पत्रों की जाँच / प्रवेश के समय निम्नांकित प्रमाण–पत्रों की मूल प्रतियां दिखाना अनिवार्य है –

अ – हाईस्कूल / हायर सेकेण्डरी परीक्षा प्रमाण पत्र

ब – इण्टरमीडिएट प्रमाण पत्र

स – स्नातक / स्नातकोत्तर / बी0एड0 अथवा अन्य अर्हता परीक्षा की अंक तालिका

द – अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूप पर ही मान्य होगा)

य – क्षैतिज आरक्षण सम्बन्धित प्रमाण–पत्र

र –प्रिंट–आउट (printout) किया गया आवेदन पत्र समस्त प्रमाणपत्रों / अधिभार अंक प्रमाण पत्रों एवं आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्रों की छायाप्रति।

**14. अन्य निर्देशः**

14.1. आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे।

14.2. ऑनलाइन आवेदन पत्र में अनिवार्य पात्रता के आधार पर स्वयं का आंकलन कर सही/सत्य एवं स्पष्ट रूप से भरें। मूल प्रमाण पत्र प्रमाण पत्रों की जाँच तथा प्रवेश के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। किसी भी सूचना के अपूर्ण/असत्य पाए जाने पर प्रवेशार्थी का दावा निरस्त किया जा सकता है अथवा प्रविष्ट परीक्षार्थी का प्रवेश निरस्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र में उल्लिखित सूचनाओं को ही अन्तिम माना जाएगा।

14.3. प्रवेशार्थी द्वारा प्रस्तुत दावे के अनुरूप कोई साक्ष्य/प्रमाण न दिये जाने की स्थिति में यदि उसके प्रवेश का दावा नहीं बनता है तो प्रवेश परीक्षा का शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा। निर्धारित नियमों के विपरीत यदि कोई प्रवेशार्थी आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है तो उसे परीक्षा शुल्क वापस प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा और न उक्त शुल्क वापस किया जायेगा। **केवल पात्र प्रवेशार्थी ही आवेदन करें। अपात्र प्रवेशार्थी का प्रवेश/आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।**

14.4 किसी भी वाद की स्थिति में वाद का परिक्षेत्र मुख्यालय, नैनीताल होगा।

## प्रमाण–पत्रों के प्रारूप बी0एड0 हेतु)

### प्रमाण–पत्र I (अनुसूचित जाति/जनजातियों के अभ्यर्थियों हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0...........................................................आत्मज/आत्मजा श्री....................................................... निवासी ............................................................................................... तहसील.........................................................जनपद....................................................... उत्तराखण्ड राज्य के निवासी हैं तथा संशोधित शासनादेश 1956 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हैं।

**दिनांक..............................**

**हस्ताक्षर सील सहित**

**जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी**

**उपजिलाधिकारी/तहसीलदार**

**प्रमाण–पत्र II (उत्तरांचल शासन के शासनादेश सं0 1144/कार्मिक–2–2001–53(1)–2001 दिनांक 18–7–2001 के अनुसार अन्य पिछड़ी जाति के लिए प्रमाण–पत्र)**

**(शासनादेश में उल्लिखित पिछड़ी जातियों को ही लाभ देय होगा)**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0........................................................................................ पुत्र/पुत्री श्री...............................................निवासी ग्राम...................................तहसील...................................... जिला.........................................उत्तराखण्ड राज्य की (अन्य पिछड़ी जाति का नाम)..........................की जाति के व्यक्ति हैं यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 की अनुसूची–1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.........................................................उक्त अधिनियम 1994 की अनुसूची–2 (अधिसूचना संख्या 22/16/92 का0–2/1995 टी0सी0 दिनांक 8 दिसम्बर, 1995 द्वारा यथा संशोधित) से अच्छादित नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी.......................................................................तथा इनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम..............................................तहसील......................................जिला.........................में सामान्यतया रहता है। यह प्रमाण–पत्र राजस्व विभाग निरीक्षक श्री...........................................................की जांच आख्या................. पर जारी किया गया है।

| | | |
|---|---|---|
| स्थान.......................... | प्रतिहस्ताक्षरित | हस्ताक्षर |
| दिनांक........................ | उपजिलाधिकारी | तहसीलदार |
| | सील सहित | सील सहित |

नोटः– अन्य पिछड़ी जाति का लाभ केवल उत्तरांचल शासन के **शासनादेश सं0 1144/कार्मिक–2–2001–53(1)2001 दिनांक 18–7–2001** में उल्लिखित एवं शासन द्वारा समय–समय पर संशोधित अन्य पिछड़े वर्ग की जातियों को ही अनुमन्य होगा।

**तहसीलदार द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र उपजिलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित होना आवश्यक है।**

## <u>प्रमाण–पत्र III (दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु)</u>

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कु0.............................................................आत्मज / आत्मजा श्री......................................................... निवासी ........................................................................................................ तहसील...............................................................जनपद.............................................................. उत्तराखण्ड राज्य के दिव्यांग की श्रेणी में आते हुए चर्मरोग, हकलाना, मूक, बधिर या अन्य किसी ऐसी स्थिति में व्याधि से ग्रस्त नहीं हैं जिससे बच्चों में फैलने या उनके कक्षा शिक्षण में बाधा उपस्थित होने की सम्भावना हो। अभ्यर्थी प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम है।

**दिनांक..............................** **हस्ताक्षर सील सहित**

**जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी**

**नोटः– न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांग होने का CMO द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र आवश्यक है। अधिकतम 60 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांग अभ्यर्थी आवेदन न करें।**

## प्रमाण–पत्र IV (प्रतिरक्षा कर्मचारी से सम्बन्धित अभ्यर्थियों हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि ....................................श्री / श्रीमती / कु0.............................................................. आत्मज / आत्मजा श्री........................................................ प्रतिरक्षा कर्मचारी (पद) .................................................. पर कार्य कर रहे हैं / कार्य किया / ससम्मान सेवानिवृत्त हुये / उनकी सेवारत रहते हुए मृत्यु हो गयी थी / वह अपंग सेवा निवृत्त हो गये थे तथा श्री / श्रीमती / कु0 ...........................................................इनके पुत्र / पुत्री / पति / पत्नी हैं।

**दिनांक..............................** **हस्ताक्षर सील सहित**

**ऑफिसर कमाण्डेन्ट / सचिव, पुनर्वास सैनिक कल्याण बोर्ड**

## प्रमाण–पत्र V (अभ्यर्थी स्वयं भूतपूर्व सैनिक होने पर)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0.............................................................आत्मज/आत्मजा श्री.........................................................भूतपूर्व सैनिक ने..................................................के पद पर कार्य किया/ससम्मान सेवानिवृत्त हुए हैं।

दिनांक...............................

हस्ताक्षर सील सहित

ऑफिसर कमाण्डेन्ट/सचिव, पुनर्वास सैनिक कल्याण बोर्ड

## प्रमाण–पत्र VI (स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों से सम्बन्धित अभ्यर्थियों हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती......................................................................आत्मज/आत्मजा श्री..........................................................शासन के आलेखानुसार स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी हैं/थे तथा श्री/श्रीमती/कु0............................................................इनके पुत्र/पुत्री/पुत्र के पुत्र तथा अविवाहित पुत्री हैं।

दिनांक....................................

हस्ताक्षर सील सहित

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी

उपजिलाधिकारी

**नोटः– प्रमाण–पत्र वर्तमान समय का होना आवश्यक है।**

## प्रमाण–पत्र VII (विधवा या तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला अभ्यर्थिनी हेतु )

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती..........................................................................आत्मज/आत्मजा श्री............................................................ एक विधवा/ तलाकशुदा/ परित्यक्ता महिला हैं, इनके पति श्री ...........................................................................की मृत्यु हो गयी/तलाक/परित्यक्ता दिनांक ....................... को कर दिया गया है।

दिनांक....................................

हस्ताक्षर सील सहित

उपजिलाधिकारी

**नोटः– कानूनी प्रमाण–पत्र की प्रति भी संलग्न की जानी आवश्यक है।**

## <u>प्रमाण–पत्र VIII (पुलिस / पी0ए0सी0 / होमगार्ड / बी0एस0एफ0 / एस0एस0बी0 या आई0टी0बी0पी0 / सी0आर0पी0एफ0 के स्वयं अभ्यर्थियों हेतु)</u>

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती.........................................................................आत्मज / आत्मजा श्री.......................................................विभाग.......................................पद........................................................पर सक्रिय पूर्णकालिक स्थाई रूप से सेवारत हैं / ससम्मान सेवानिवृत्त हुए हैं।

दिनांक...............................

हस्ताक्षर सील सहित

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रीजनल कमाण्डर

पी0ए0सी0 / होमगार्ड / बी0एस0एफ0 / एस0एस0बी0 / आई0टी0बी0पी0 / सी0आर0पी0एफ0

**नोटः– होमगार्ड के लिए प्रमाण–पत्र केवल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से प्रतिहस्ताक्षरित ही मान्य होंगे।**

*************